न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठसीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 138/2017 प्रार्थना पत्र

भैरूलाल पिता चान्दमल तेली, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. उदयलाल पिता जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी कासोद, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. छगनलाल पिता जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी कासोद, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार, आयु वयस्क, निवासी कासोद, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।
5. अम्बादास पिता नन्दादास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी कासोद, हा.मु. अम्बानगर, निम्बाहेड़ा।
6. सुन्दर बाई पुत्री नन्दादास बैराग, आयु वयस्क, निवासी कासोद, हा.मु. अम्बानगर, निम्बाहेड़ा।
7. कन्कु बाई पुत्री नन्दादास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी कासोद, हा. मु. अम्बानगर, निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.</u>

निर्णय दिनांक 22.07.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मोजा कासोद की खाता संख्या 137 की आराजी नं. 128, 633/129 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4400 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। इसके पुराने आराजी नं. 20/1, 20/2, 21मीन, 22 मीन, 399/20/1 है। उक्त आराजीयात पुराने नक्शा ट्रेस में सही रूप से तरमीम था। इसी अनुसार प्रार्थी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था। राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी की आराजीयात का वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम हो गया व प्रार्थी की भूमि का कुछ भाग विपक्षीगण के नाम दर्जशुदा आराजीयात के स्थान पर दर्शा दिया गया है जो गलत है। प्रार्थी का मौके पर शांतिपूर्ण

ढंग से कब्जा चला आ रहा है। कब्जे व पुराने नक्शे में अंकन अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 5 से 7 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया। बाद में प्रार्थी ने धारा 151 जा0दि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विपक्षी संख्या 5 से 7 का हिस्सा प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर लिया गया है तथा राजस्व रेकार्ड में भी इसका अमल दरामद हो चुका है इसलिए विपक्षी संख्या 5 से 7 के बजाय प्रार्थी के नाम संशोधन के आदेश जारी किये जावें। विपक्षी संख्या 4 तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर साबिक नक्शे व नवीन नक्शे में अन्तर प्रकट होना स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो रेकार्ड पर लिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने नक्शा ट्रेस ग्राम कासोद, साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम कासोद, मिलान क्षेत्रफल ग्राम कासोद, नकल जमाबन्दी संवत 2065–68 ग्राम कासोद की खाता संख्या 63 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 ग्राम कासोद की खाता संख्या 137 व खाता संख्या 8 की प्रतियां प्रस्तुत की है। विवादित भूमि मौजा कासोद की खाता संख्या 137 की आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। साबिक नक्शा ट्रेस व नवीन नक्शा ट्रेस में अन्तर स्पष्ट प्रकट है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी व अन्य प्रभावित खातेदारान साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना तामिल के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं जबकि अन्य प्रभावित पक्षकार विपक्षी संख्या 5 से 7 ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया है तथा विवादित भूमि पर साबिक नक्शा ट्रेस व वर्तमान कब्जे के आधार पर संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर एवं साबिक नक्शा ट्रेस एवं नवीन नक्शा ट्रेस में प्रकट अन्तर के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। धारा 151 जा.दि. के प्रार्थना पत्र में वर्णित विक्रय के आधार पर विपक्षी संख्या 5 से 7 का हिस्सा प्रार्थी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रय कर लिये जाने से उनके बजाय प्रार्थी का नाम अंकित किये जाने का आदेश उचित प्रतीत होता है। अतः प्रश्नगत भूमि मौजा कासोद की भूमि में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	633/129	0.28	भैरूलाल पिता चान्दमल तेली, निवासी निम्बाहेड़ा	633/129 में से पूर्वी	0.05	भैरूलाल पिता चान्दमल तेली, निवासी निम्बाहेड़ा
				633/129 में से पश्चिमी	0.23	उदयलाल, छगनलाल, रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार, सा. देह खातेदार
2	129 मी	0.22	श्री अम्बादास, सुन्दर बाई, कंकु बाई पिता नन्दादास बैरागी के बजाय भैरूलाल पिता चान्दमल तेली, निवासी निम्बाहेड़ा	129 मी	0.22	उदयलाल, छगनलाल, रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार, सा. देह खातेदार
3	127	0.45	उदयलाल, छगनलाल, रोशनलाल पिता जगन्नाथ चमार, सा. देह खातेदार	127 में से उत्तरी	0.23	भैरूलाल पिता चान्दमल तेली, निवासी निम्बाहेड़ा
				127 में से दक्षिणी	0.22	श्री अम्बादास, सुन्दर बाई, कंकु बाई पिता नन्दादास बैरागी के बजाय भैरूलाल पिता चान्दमल तेली, निवासी निम्बाहेड़ा

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 18:07:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: